रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2014/माघ 9, 1935
No. 235]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2014/MAGHA 9, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2014

का. आ. 287(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि एक्जो नोबेल इण्डिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती आईसीएल इण्डिया लिमिटेड) के प्रबंधन तथा फेडरेशन ऑफ आईसीएल एण्ड एसोसिएटेड कम्पनीज एम्प्लॉइज यूनियन, कोलकाता, आईसीआईज एसोसिएटेड कम्पनीज एम्प्लॉइज यूनियन, मुम्बई तथा आईसीएल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियां, कोलकाता के पेंशनधारकों की अखिल भारतीय एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत उनके कर्मकारों के मध्य एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है:

और जबकि उक्त विवाद ऐसी प्रकृति का है कि एक्जो नोबेल इण्डिया लिमिटेड के एक से अधिक राज्यों में स्थित प्रतिष्ठानों के इस विवाद द्वारा रूचि रखने, अथवा इस विवाद से प्रभावित होने की संभावना है।

और जबकि केन्द्र सरकार का मत है कि उक्त विवाद का न्याय-निर्णयन राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंत्रालय के दिनांक 17.05.2013 के आदेश संख्या एल-51014/2/2007-आईआर.(पीजी) के द्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित किया जिसका मुख्यालय कोलकाता में रखा गया और न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सर्राफ को इसके पीठासीन अधिकारी के रुप में नियुक्त किया और उक्त अधिनियम की धारा-10 की उप धारा (1क) द्वारा प्रदत्त का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु उपरोक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा गया।

और जबकि न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सर्राफ ने दिनांक 30.06.2013 (पूर्वाह्न) को उपरोक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पदभार छोड़ दिया।

अत: अब एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है जिसका मुख्यालय कोलकाता में होगा और जिसके पीठासीन अधिकारी सीजीआईटी, कोलकाता के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति श्री दीपक साहा रे होंगे तथा उपर्युक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को इस निर्देश के साथ संदर्भित किया जाता है कि न्यायमूर्ति श्री दीपक साहा रे इस मामले में उस स्तर से आगे कार्रवाई करेंगे जहां से न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सर्राफ ने इसे छोड़ा था तथा तदनुसार इस मामले को निपटाएंगे।

[एल-51014/2/2007-आईआर(पीजी)]

अनूप चन्द्र पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

ORDER

New Delhi, the 29th January, 2014

S.O. 287(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that an Industrial dispute exists between the management of AKZO NOBEL INDIA LIMITED (formerly ICI India Ltd.) and their workmen represented by the Federation of ICI & Associated Companies Employees Union, Kolkata, ICI's Associated Companies Employees Union, Mumbai and All India Association of Pensioners of ICI India Ltd., & its subsidiaries, Kolkata.

And Whereas the said industrial dispute is of such a nature that, the establishments of Akzo Nobel India Limited situated in more than one State, are likely to be interested in, or affected by such industrial dispute.

And Whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute should be adjudicated by a National Industrial Tribunal.

And Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 7B of the ID Act,1947 (14 of 1947) constituted a National Industrial Tribunal vide Ministry of Labour Order No. L-51014/2/2007-IR(PG) dated 17.5.2013 with headquarter at Kolkata and appointed Justice Shri G.S.Sarraf as its Presiding Officer and in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 10 of the said Act, referred the said Industrial Dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

And Whereas Justice G.S.Sarraf relinquished charge of the above National Industrial Tribunal on 30.6.2013(FN).

Now, therefore, a National Industrial Tribunal is constituted with headquarters at Kolkata with Justice Shri Dipak Saha Ray, Presiding Officer of CGIT, Kolkata as its Presiding Officer and the above said dispute is referred to the above said National Industrial Tribunal for adjudication with a direction that Justice Dipak Saha Ray shall proceed in the matter from the stage at which it was left by Justice Shri G.S.Sarraf and dispose off the same accordingly.

[No. L-51014/2/2007-IR(PG)]

A. C. PANDEY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.